



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 19.07.2024

**कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस/एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 148/24 धारा 65(2)/309(6) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आया 25000/-रु का इनामिया अभि0 को पुलिस मुठभेड में किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस/एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 19.07.2024 को मु0अ0सं0 148/24 धारा 65(2)/309(6) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आया 25000/- रु का इनामिया अभियुक्त डब्लू पुत्र रामलडैते शर्मा निवासी ग्राम दया नगला कोतवाली मोहम्मदाबाद मूल निवासी ग्राम वीलपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 के पास से पीडिता कनक से लूटी गई तोडिया व चांदी का लाकेट बरामद कर अभि0 के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

डब्लू पुत्र रामलडैते शर्मा निवासी ग्राम दया नगला कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मूल निवासी ग्राम वीलपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी

**घटना का विवरण:-** दिनांक 11.07.2024 को कबीरपुर गांव को जाने वाले रास्ते पर राधे राधे गेस्ट हाउस से करीब 05-06 सौ मीटर की दूरी वहद कस्बा व कोतवाली मोहम्मदाबाद में समय करीब रात्रि 11.00 बजे अज्ञात अभि० द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दि०- 12.07.2024 को मु०अ०सं० 148/24 धारा 64(1) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान पीडिता के पैरो व गले के चांदी के आभूषण मारपीट कर चोट पहुँचाकर जबरन लूटने के कारण धारा 309(6) बीएनएस व 64(1) बीएनएस के स्थान पर 65(2) बीएनएस होना पाये जाने पर विवेचना में धारा बढोत्तरी की गई तथा अभि० डब्लू पुत्र रामलडैते शर्मा निवासी ग्राम दया नगला कोतवाली मोहम्मदाबाद मूल निवासी ग्राम वीलपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी का नाम प्रकाश में आया।

## पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैंने दि०- 11.07.2024 को रात में करीब 11 बजे राधे राधे गेस्ट हाउस से करीब 4 वर्ष की लडकी को बहला फुसलाकर शादी समारोह से बाहर खेतों में ले जाकर उसके पाजेब व लाकेट उतार लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब उसे खोजने के लिये लोग निकले भीडभाड देखकर मैं वहां से भाग गया था।

## बरामदगी का विवरण:-

1. पीडिता से लूटी गई एक जोड़ी तोडिया।
2. 01 अदद तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर

## अभियुक्त डब्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 393/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु०अ०सं० 200/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
3. मु०अ०सं० 148/24 65(2)/309(6) BNS व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
4. मु०अ०सं० 179/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 आईपीसी थाना भोगांव जनपद मैनपुरी
5. मु०अ०सं० 263/2021 धारा 379/411 आईपीसी थाना बिछवा जनपद मैनपुरी
6. मु०अ०सं० 817/2022 धारा 380/427/457/511 आईपीसी कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी

## गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० मनोज कुमार भाटी
2. उ०नि० राहुल सिंह
3. उ०नि० महेन्द्र सिंह
4. का० ओम सिंह
5. का० यशवीर
6. का० अंशुमन चाहर
7. का० हरिओम चाहर
8. का० राजनपाल
9. का० सूरज राठी
10. हे०का० नन्दलाल थाना नवाबगंज
11. का० कुलदीप , थाना जहानगंज
12. का० मंजीत कुमार , थाना जहानगंज

## गिरफ्तार/बरामद करने वाली एसओजी टीम

1. उप० नि० जितेन्द्र पटेल (प्रभारी SOG)
2. HC गजराज सिंह (SOG)
3. HC बलवीर सिंह (SOG)
4. C दिव्यांशु (SOG)
5. C विकास चन्द्र (SOG)
6. C प्रिंस युवराज (SOG)
7. C विनोद कुमार (SOG)

## गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस टीम

1. उप० नि० विशेष कुमार (प्रभारी सर्विलांस)
2. HC करन यादव ( सर्विलांस )
3. HC अजय सिंह (सर्विलांस)
4. HC अनुराग कुमार (सर्विलांस)
5. HC संदीप राव (सर्विलांस)



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम

फतेहगढ़

दिनांक :- 19.07.24

**NCRP पोर्टल पर पंजीकृत ऑनलाइन साइबर शिकायत संख्या 33107230105638 के आवेदक श्री विनय कुमार सक्सैना पुत्र सुरेशचन्द्र निवासी देवरामपुर रेलवे क्रासिंग, थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद के खाते से 45,000/- रूपये फ्रॉड की गयी सम्पूर्ण धनराशि 45,000/- रूपये को वापस कराया गया ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात/क्राइम श्री जयसिंह परिहार के नेतृत्व में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा NCRP पोर्टल पर पंजीकृत साइबर शिकायत संख्या 33107230105638 के आवेदक श्री विनय कुमार सक्सैना उपरोक्त के लिखित प्रार्थना पत्र की जांच उ0नि0 श्री सुबोध यादव द्वारा की गयी जिसके आधार पर आवेदक के खाते से साइबर ठगों द्वारा कुल 45,000/- रूपये की ठगी की गयी थी । थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा फ्रॉड करने वाले खातों में धनराशि होल्ड/फ्रीज कराकर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्पूर्ण धनराशि 45,000/- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** आवेदक को साइबर ठगों द्वारा कॉल कर अवैध गतिविधियों में लिप्त होने पर साइबर ठगों ने स्वयं को बड़ा अधिकारी बताये हुए आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी देते हुए मामले को तुरन्त समाप्त करने हेतु 50,000/- रूपये की मांग कर आवेदक से 45,000/- रूपये ठग लिये ।

## बरामद करने वाली थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ०नि० श्री सुबोध यादव
3. का० अरविन्द यादव
4. का० कौटिल्य
5. का० अनुराग लाम्बा

## नोट:-

- साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
- सतर्क रहें , जागरूक रहें ।
- साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम

फतेहगढ़

दिनांक :- 19.07.24

**NCRP पोर्टल पर पंजीकृत ऑनलाइन साइबर शिकायत संख्या 33103240035654 के आवेदक श्री कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र सुरेशचन्द्र शर्मा मूल निवासी ग्राम मथना थाना खैर जिला अलीगढ़ हाल निवासी पुलिस लाइन फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ के खाते से 95000/- रुपये फ्रॉड की गयी धनराशि में से 65,600/- रुपये को वापस कराया गया।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात/क्राइम श्री जयसिंह परिहार के नेतृत्व में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा NCRP पोर्टल पर पंजीकृत साइबर शिकायत संख्या 33103240035654 के आवेदक श्री कुलदीप कुमार शर्मा उपरोक्त के लिखित प्रार्थना की जांच साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा की गयी जिसके आधार पर आवेदक के खाते से साइबर ठगों द्वारा कुल 95,000/- रुपये की ठगी की गयी थी। थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा फ्रॉड करने वाले खातों के विरुद्ध कार्यवाही कर मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में 65,600/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** आवेदक से साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल किया और परिवार के सदस्य को गिरफ्तार कर उस पर कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी जिससे घबरा गया और साइबर ठगों ने इसका लाभ लेकर आवेदक से 95,000/- रुपये ठग लिये।

**वापस/बरामद धनराशि:-**

1. धनराशि 65,600/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये।

## बरामद करने वाली थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ०नि० श्री सुबोध यादव
3. का० अरविन्द यादव
4. का० कौटिल्य
5. का० अनुराग लाम्बा

### नोट:-

- साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
- सतर्क रहें , जागरूक रहें ।
- साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है ।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम  
फतेहगढ़

दिनांक :- 19.07.2024

**NCRP पोर्टल पर पंजीकृत ऑनलाइन साइबर शिकायत संख्या 23104240040467 के आवेदक वरिष्ठ पत्रकार श्री नितिन कुमार मिश्रा पुत्र मुकेश कुमार मिश्रा निवासी मो0 नवदिया थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फरुखाबाद के खाते से 1,36,000/- रुपये फ्रॉड की गयी सम्पूर्ण धनराशि में से 1,22,000/- रुपये को वापस कराया गया ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात/क्राइम श्री जयसिंह परिहार के नेतृत्व में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा NCRP पोर्टल पर पंजीकृत साइबर शिकायत संख्या 23104240040467 के आवेदक वरिष्ठ पत्रकार श्री नितिन कुमार मिश्रा उपरोक्त के लिखित प्रार्थना की जांच साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा की गयी जिसके आधार पर आवेदक के खाते से साइबर ठगों द्वारा कुल 1,36,000/- रुपये की ठगी की गयी थी । थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा फ्रॉड करने वाले खातों के विरुद्ध कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्पूर्ण धनराशि में से 1,22,000/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** आवेदक द्वारा दिल्ली के अस्पताल में डाक्टर के अपॉइन्टमेन्ट हेतु ऑनलाइन सर्च गूगल द्वारा सर्च किया गया जिसके पश्चात उनको साइबर ठगों का नंबर मिला तथा साइबर ठगों ने फर्जी तरीके से आवेदक से 1,36,000/- रुपये ठग लिये ।

**वापस/बरामद धनराशि:-**

1. धनराशि 1,22,000/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये ।



### बरामद धनराशि:-

1. विभिन्न बैंक खातों में होल्ड व फ्रीज करायी गयी कुल धनराशि 45,000/- रुपये को आवेदक के खाते में वापस कराया गया ।

### बरामद करने वाली थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव
3. का0 अरविन्द यादव
4. का0 कौटिल्य
5. का0 अनुराग लाम्बा

### नोट:-

- साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
- सतर्क रहें , जागरूक रहें ।
- साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है ।

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**



U DISE CODE-0225000104  
शमसाबाद वि.क्षे.शमसाबाद नगर क्षेत्र शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद

शमसाबाद वि.क्षे.शमसाबाद नगर क्षेत्र शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद



vivo V30e  
07/19/2024, 11:31